

भारत में शिक्षक—शिक्षा की समस्यायें एवं उसको दूर करने के उपाय

डॉ० शारदा यादव

असिस्टेन्ट प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र विभाग

किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रकसा, रतसर—बलिया।

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords :

शिक्षक, शिक्षा, उच्च
शिक्षा, अक्षमता,
पाठ्यक्रम

ABSTRACT

पिछली आधी शताब्दी में और विशेष रूप से, हाल ही के दशकों में शिक्षक शिक्षा में भारी बदलाव आया है। छात्र केन्द्रित कक्षाओं में भी बदलाव आया है जिसमें शिक्षक की भूमिका एक निरंकुश गुरु के बजाय सिखाने व सुविधा प्रदाता के रूप में अधिक है। अतीत के विपरीत जब शिक्षक को पाठ्यक्रम की सामग्री को छात्रों के निष्क्रिय दर्शकों तथा स्थानांतरित करने का काम सौंपा जाता था। आज कक्षाओं में नये प्रयोग किये जा रहे हैं जिनमें परियोजना आधारित कौशल विकास की शिक्षा और खोज आधारित अधिगम का दृष्टिकोण शामिल है। एस०एस०ए० अभियान के हिस्से के रूप में पाठ्यपुस्तकों में भी संशोधन किया गया। (मेरी राय में उन्हें पहले से भी बदतर बना दिया गया है)। कई शिक्षकों को पाठ्यक्रम के पीछे की अवधारणाओं को लागू करने के लिए ठीक से प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और कुछ पाठ्यक्रम को ठीक से लागू करने के लिए सुसज्जित नहीं है।

परिचय—सबसे मजेदार बात यह है कि टीचर ट्रेनिंग केन्द्रों और शिक्षक शिक्षा में अपनाई जाने वाली पाठ्यक्रम में शिक्षा के नये रूझानों पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। एस०एस०ए० में शिक्षक प्रशिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है और केवल सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षक तक ही सीमित रखा गया है। सम्पूर्ण अध्यापक क्षेत्र को एस०एस०ए० से



दूर रखा गया। इसलिए बी0एड0 कॉलेजों से निकलने वाले शिक्षक उम्मीदवारों को नई तकनीकी से अवगत कराया जाता है। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान सभी राज्यों में तेजी से फैल रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग कोर्स से सम्बन्धित मानकों को तय करने के उद्देश्य से एनसीटीई भारत सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में 17 अगस्त सन् 1995 को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के अनुसरण में पूरे देश में शिक्षक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करने और शासन करने के लिए आस्तित्व में आया। एनसीटीई के द्वारा मानकों में कक्षाओं के साथ-साथ बुनियादी ढांचों और शिक्षकों की योग्यतायें भी निर्धारित की गईं। शिक्षकों के वेतन का भी मानक निर्धारित किया गया। धीरे-धीरे टीचर ट्रेनिंग संस्थाओं पर एनसीटीई का हस्तक्षेप कम हो गया और निजी प्रशिक्षण संस्थानों की शक्तिशाली लाबी अपने तरीके से इन शिक्षण संस्थाओं को चलाया। पिछले कुछ सालों में उच्च शिक्षा का बहुत ही तेजी से विस्तार हुआ। वर्तमान समय में लगभग 200 से अधिक विश्वविद्यालय और लगभग 800 से अधिक कॉलेज हैं। कोठारी आयोग की टिप्पणी है—भारत की नियति को इसकी कक्षाओं में आकार दिया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिक्षा सम्पर्ण विश्व के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता काफी हद तक अध्यापकों की गुणवत्ता से निर्धारित होती है इसके लिए शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने का महान प्रयास किया गया और वर्तमान समय में किये जा रहे हैं। शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित कुछ प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की गई है जो निम्नलिखित हैं—

- (1) चयन की समस्या—चयन प्रक्रिया के दोषों के कारण भी शिक्षकों की गुणवत्ता में गिरावट आती है। बेहतर तरीके से चयन से न केवल प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक सुरक्षा भी होगी। नीचे कुछ प्रमुख सुझाओं का उल्लेख किया गया है—
 - (क) उम्मीदवारों का साक्षात्कार प्रशिक्षित लोगों द्वारा ही करवाना चाहिए जिससे योग्य लोग ही संस्थानों में आये।
 - (ख) उम्मीदवारों के सामान्य ज्ञान की जानकारी है या नहीं इसकी जानकारी भी टेस्ट के माध्यम से करनी चाहिए।
 - (ग) शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके का भी बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए।



(घ) अध्यापकों के भाषा ज्ञान की भी जानकारी टेस्ट के माध्यम से करवाना चाहिए। अध्यापकों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए।

(ङ.) अध्यापकों की बुद्धि का भी परीक्षण किया जाना चाहिए।

(च) अध्यापक का शिक्षण कौशल, अध्यापक की अध्यापन के प्रति रुचि और दृष्टिकोण का आकलन करवाना चाहिए।

(ज) शिक्षक का एक अच्छा प्रत्यक्ष मार्गदर्शन किया जाना चाहिए जिससे उसकी प्रतिभा को निखारा जा सके।

(2) छात्रों और शिक्षकों की अयोग्यता— मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्रों को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं करता और शिक्षकों की योग्यता का विकास नहीं करता क्यों कि अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजक स्कूलों की मौजूदा समस्याओं से अवगत नहीं हैं इसलिए शिक्षकों की समस्याओं का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग कालेजों में विद्यार्थियों का चयन परीक्षाओं के माध्यम से करना चाहिए जिससे अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में रुचि लेने वाले लोग ही प्रवेश लें और टीचर ट्रेनिंग की दिशा में सुधार लाया जा सके। टीचर ट्रेनिंग कालेजों में शिक्षकों की योग्यतायें तो निर्धारित की गई हैं लेकिन अध्यापन का कार्य अयोग्य अध्यापकों से करवाया जाता है जिससे शिक्षण की गुणवत्ता में दिन प्रतिदिन कमी आ रही है।

(3) कागजात से संबंधित दोष— एक अध्यापक को शिक्षा का अर्थ, इसका उद्देश्य और सामाजिक, सांस्कृतिक ज्ञान होना चाहिए। एक अध्यापक को बच्चों का एक अच्छा मार्गदर्शक एवं पथ प्रदर्शक भी होना चाहिए। अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी कक्षाओं का संचालन समय से और ईमानदारी से करे और पाठ को पूरी तैयारी से पढ़ाये जिससे अध्यापक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसमें सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं—

(क) शिक्षार्थियों को पढ़ने और बच्चों के सुदृढ़ विकास के लिए अध्यापक को पर्याप्त समय देना चाहिए।

(ख) मौजूदा पाठ्यक्रम बहुत ही ज्यादा है जिसमें कटौती की आवश्यकता है और छात्राध्यापकों के अध्यापन कार्य को बढ़ावा देना चाहिए।



(ग) अध्यापक को अपने अनुभवों को छात्रों के साथ साझा करना चाहिए एवं शिक्षक को स्वयं समय का पाबंद होना चाहिए जिससे छात्राध्यापक अपने शिक्षक से सीखें।

(4) अभ्यास शिक्षण की समस्या—शिक्षकों को छात्रों को अध्यापन के कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापन कार्य के प्रति छात्रों को गंभीर होना चाहिए। छात्रों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। छात्रों को अपने लक्ष्य के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। और छात्रों को अध्यापन के विषय में होने वाले नवाचार का भी ज्ञान होना चाहिए जिससे आईसीटी का प्रयोग करके अपने अध्यापन कार्य में नवीनता लाई जा सकती है।

(5) शिक्षण के पर्यवेक्षण की समस्या—अभ्यास शिक्षण के लिए पर्यवेक्षण संगठनों का लक्ष्य इसमें सुधार करना है। विभिन्न तकनीकों और व्यवहारिक कौशल का उपयोग करके अध्यापक छात्रों की अध्यापन गतिविधि और कक्षा की स्थितियों का सामाना करने में आत्मविश्वास विकसित करनें में छात्रों की मदद करें।

इसके लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में मानक के अनुसार शिक्षकों को नियुक्त करना चाहिए जिससे कक्षा में अध्यापन कार्य से पहले छात्रों का पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। उनकी पाठ योजना, पढ़ाई जाने वाली सामग्री को अध्यापन कार्य से पूर्व व्यवस्थित करना, उपयुक्त हाव भाव का ज्ञान कराना आदि।

(6) विषय ज्ञान का अभाव—टीचर ट्रेनिंग शिक्षा की सबसे बड़ी कमी अध्यापकों में ज्ञान की कमी है इसके लिए शिक्षकों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनको अध्यापन के अतिरिक्त और किसी भी कार्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जिससे अध्यापक अपने अध्यापन व्यवसाय के प्रति जागरूक रहे।

(7) एनसीटीई के द्वारा अध्यापकों के मानक तो निर्धारित कर दिये गये हैं लेकिन कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है जिससे शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य सुचारू रूप से नहीं चलता अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि नियमित रूप से अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की जांच करे और मानकों को पूरा न करने वाले संस्थानों को बंद करे जिससे अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की कार्य प्रणाली में सुधार लाया जा सके।

(8) पर्याप्त वेतन तथा सुविधाओं का अभाव—वर्तमान समय में एनसीटीई के द्वारा शिक्षकों लिए वेतन के मानकों को निर्धारित तो कर दिया गया है लेकिन यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। अध्यापकों के खातों में तो मानक के अनुसार वेतन जाता है परन्तु उसे



वेतन में से कुछ राशि वापस ले ली जाती है जिससे अध्यापक का मानक के अनुसार वेतन सिर्फ कागजों तक ही सीमित है।

इस दोष को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि शासन के द्वारा समय समय पर इसकी जांच की जानी चाहिए जिससे कि उपरोक्त व्यवस्था में सुधार किया जा सके।

(9) अपर्याप्त अनुभवजन्य अनुसंधान— भारत में टीचर ट्रेनिंग के क्षेत्र में अनुसंधान की काफी उपेक्षा की गई है। जो भी शोध किये गये वे भी निम्न गुणवत्ता के हैं। इसके लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में भी काफी शोध की आवश्यकता है।

(10) व्यवसायिक विकास के लिए सुविधाओं का अभाव— टीचर ट्रेनिंग के सम्बन्ध में अधिकांश कार्यक्रम सुचारू रूप चलाये नहीं जा रहे हैं। शिक्षक प्रशिक्षकों के संघ ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है।

इस कमी को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक प्रशिक्षण का सुदृढ़ व्यवसायीकरण किया जाये। अध्यापके संघों का भी निर्माण किया जाना चाहिए जिससे अध्यापकों को होने वाली समस्या का भी निवारण किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ—

- (1) चौबे, एसपी0(2006) स्कूल संगठन नोयडा: मयूर पेपरबैक्स
- (2) गुप्ता, एएम0(1999) शैक्षिक प्रबंधन, नई दिल्ली, भारत प्रकाशन
- (3) उषा, एम0डी0(2010) भारत सरकार के समक्ष चुनौतिया (दीक्षांत भाषण)
- (4) वशिष्ठ, एस0आर0, (2003) शिक्षकों की व्यवसायिक शिक्षा, जयपुर, मंगलदीप